



भाकृअनुप-केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान  
बैरकपुर, कोलकाता-700120, पश्चिम बंगाल, भारत  
ICAR-Central Research Institute for Jute & Allied Fibres  
Barrackpore, Kolkata-700 120, West Bengal, India



फा. संख्या: 5 (डी-VIII)/2021-22/223

दिनांक 27 जुलाई, 2021

परिपत्र

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का० जा० संख्या: II-12013/3/87-राजभाषा (क. 2) दिनांक 16.02.1988 के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए संस्थान में हिन्दी में कार्य करने के लिए दिनांक 01.01.2000 से प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति वर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। भा.कृ.अनु.प. के पत्रांक 1(13)/97-हिन्दी दिनांक 11.05.2001 के अनुसार हिन्दी प्रोत्साहन योजना प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लागू होती है तथा दूसरे वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है। इस योजना की रूप-रेखा इस प्रकार है:-

2. पात्रता:- (क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूलरूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" (अर्थात् बिहार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

3. पुरस्कार:- इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को परिषद के दिनांक 07, दिसम्बर 2016 के परिपत्र सं. रा.भा. 3(1)/2013-हिन्दी के अनुसार हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नगद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) प्रत्येक ₹ 5,000/-

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) प्रत्येक ₹ 3,000/-

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) प्रत्येक ₹ 2,000/-

4. पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड:-

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे :-

शेष पृ.सं...2/-..... पर...

(ख) प्रतियोगी प्रतिदिन विहित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी को हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करना पड़ेगा। पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी पुस्तिका में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा।

4. अनुरोध है कि संस्थान के जो अधिकारी/कर्मचारी इस प्रोत्साहन योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक हों वे प्रतिदिन संलग्न विहित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा दिनांक 1.04.2021 से रखना अवश्य प्रारंभ कर दें।


**प्रपत्र/PROFORMA**

डॉ./श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की ..... को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी:-

Weekly statement of the original work done in Hindi by Dr./Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ for the week ending \_\_\_\_\_.

| क्रम सं०<br>Sl. No. | तिथि<br>Date | कुल फाइलों, रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिन में हिंदी में काम किया गया<br>Total no. of files & Registers wherein work was done in Hindi | हिन्दी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या<br>No. of words used in note/ draft written in Hindi | हिन्दी में किए गए और काम<br>Other items or works done in Hindi |                               | उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)<br>Signature of Senior Officer (Once in a week) |
|---------------------|--------------|--|--|--|-------------------------------|---|
|                     |              |  |  | संक्षिप्त विवरण<br>Brief description                           | शब्दों की सं०<br>No. of words |   |
| 1                   | 2            | 3  | 4  | 5  | 6                             | 7   |
|                     |              |  |  |  |                               |   |

यह परिपत्र निदेशक महोदय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



( कुमार निशान्त चौरसिया )

वैज्ञानिक एवं प्रभारी, हिन्दी कक्ष

वितरण:

1. संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रधान/प्रभारी।
2. संस्थान के सभी अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान, के.वी.के., उत्तर 24 परगना।
4. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान, के.वी.के., बुद बुद, बर्दवान।
5. निजी सचिव, निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-के.प.स.रे.अ.सं., बैरकपुर।
6. निजी सहायक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भा.कृ.अनु.प.-के.प.स.रे.अ.सं., बैरकपुर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भाकृअनुप-के.प.स.रे.अ.सं., बैरकपुर से अनुरोध है कि इसे संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करें।



भाकृअनुप-केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान  
बैरकपुर, कोलकाता-700120, पश्चिम बंगाल, भारत  
ICAR-Central Research Institute for Jute & Allied Fibres  
Barrackpore, Kolkata-700 120, West Bengal, India



F. No.5(D-VIII)/2021-22/224

Dated, the 27 July, 2021

**CIRCULAR**

In compliance with the instructions as laid down in the Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs O.M. No.II/12013/3/87-O.L. (A-2) dated 16.02.1988, Incentive Scheme for doing work in Hindi has been effective in the Institute since 01.01.2000. Cash awards are given each year to the Officers/Employees on the basis of the work done by them in Hindi. Following the I.C.A.R.'s letter No. 1(13)/97-Hindi dated 11.05.2001, Hindi Incentive Scheme will be effective from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March next year. The details of the Scheme are as follows:

**2. Eligibility:**

(a) Officers/Employees of all categories who do their official work wholly or partly originally in Hindi can participate in this scheme.

(b) Only those Officers/Employees will be eligible for award who write at least twenty thousand words in Hindi in a year in regions 'A' and 'B' (i.e. Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Punjab states and the Union Territories of Delhi and Chandigarh) and at least ten thousand words in Hindi in a year in region 'C' (which comprises all other states and Union "Territories except region 'A' and 'B'). In addition to original noting and drafting this will also include such other items of work done in Hindi which can be verified such as entry in the register, preparation of lists, accounting work, etc.

(c) Hindi Officers, Hindi Translators & Hindi Stenographers/Typists will not be eligible to participate in this scheme.

**3. Prizes:**

The following cash awards will be given to the participants every year according to the work done by them in Hindi in pursuance of the I.C.A.R.'s Circular No.3(1)/2013-Hindi dated 07<sup>th</sup> December, 2016.

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| Firs Prize (2 Prizes)   | - | Rs.5,000/= each |
| Second Prize (3 Prizes) | - | Rs.3,000/= each |
| Third Prize (5 Prizes)  | - | Rs.2,000/= each |

**1. Criteria for awarding prizes:**

(a) For facilitating assessment, a total of 100 marks will be allotted. Out of this, 70 marks will be earmarked for the Quantum of work done in Hindi and 30 for clarity in expression of thoughts.

Contd....pg..2/-..



-: 2 :-

- (b) The competitors whose mother tongue is Tamil, Telgu, Kannada, Malayalam, Bengali, Oriya or Assamese may be given additional weightage up to 20%.
- (c) The competitors will maintain a record of the words written by them everyday in the prescribed form. Each week's record will be verified and countersigned by the Section Officer.
- (d) At the end of one year every competitor will submit the record of his/her work done in Hindi to the Assessment Committee through the countersigning Officer. Mention of winning a prize will also be made in service record of the Officer/Employee in a suitable form.

5. It is requested that the Officers/Employees of the Institute who are interested to participate the Incentive Scheme must start maintaining a record of the Hindi work written by them every day in the enclosed prescribed form with effect from 01.04.2021.

**PROFORMA**

Weekly statement of the original work done in Hindi by Dr./Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_  
for the week ending \_\_\_\_\_.

| Sl. No. | Date | Total no. of files & Registers wherein work was done in Hindi | No. of words used in note/ draft written in Hindi | Other items or works done in Hindi |              | Signature of Senior Officer (Once in a week) |
|---------|------|---|---|------------------------------------|--------------|--|
|         |      |   |   | Brief description                  | No. of words |  |
| 1       | 2    | 3   | 4   | 5                                  | 6            | 7  |
|         |      |   |   |                                    |              |  |

This circular issues with the concurrence of the Director.

( Kumar Nishant Chourasia )  
Scientist & In-charge, Hindi Cell

**DISTRIBUTION:**

1. All the Heads of Divisions/Sections of the Institute.
2. All the Station In-charge of the Sub-Stations of the Institute for necessary action.
3. Head, K.V.K., North 24-Parganas.
4. Sr. Scientist & Head, K.V.K., Bud Bud, Burdwan.
5. Incharge, A.K.M.U., ICAR-CRIJAF, for uploading on Institute Web-site.
6. P.S. to Director, ICAR-CRIJAF, Barrackpore
7. P.A. to CAO, ICAR-CRIJAF, Barrackpore